ए.

वेंकटेसन बालासुब्रमण्यन

बनाम

द इंटेलीजेंस ऑफिसर, डी. आर. आई. बैंगलोर (2020 की आपराधिक अपील संख्या 801)

बी.

20 नवंबर, 2020

[अशोक भूषण**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

सी.

एसएस।167(2) और 439 (2)-एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज किए गए-एक मामला हैदराबाद में अपीलकर्ता-अभियुक्त की कार से वर्जित पदार्थ की बरामदगी का था-दूसरा मामला महाराष्ट्र राज्य में कारखाने से वर्जित पदार्थ की बरामदगी का था, जहां से अपीलकर्ता-अभियुक्त वर्जित पदार्थ का परिवहन कर रहे थे-महाराष्ट्र राज्य में न्यायालय में दोनों मामलों के संबंध में संयुक्त शिकायत प्रस्तुत की गई थी-डिफ़ॉल्ट जमानत यू/एस।167(2) हैदराबाद की न्यायालय ने अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को इस आधार पर अनुमति दी कि 180 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया था-इसके बाद, दूसरे मामले के संबंध में महाराष्ट्र की न्यायालय को अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों की अभिरक्षा प्रदान की गई-महाराष्ट्र की न्यायालय ने पाया कि संयुक्त शिकायत चूंकि इससे पहले 180 दिनों के भीतर दायर की जा चुकी थी, इसलिए डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं दी जा सकती थी-संबंधित प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन।439(2) डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने की मांग-उच्च न्यायालय द्वारा जमानत रद्द-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःसंयुक्त शिकायत 180 दिनों के भीतर अच्छी तरह से दायर की गई थी, उच्च न्यायालय ने डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की।

डी.

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** यह सच है कि दो अपराध हुए थे**,** एक हैदराबाद में डी**.** आर**.** आई**.,** हैदराबाद के कहने पर और दूसरा डी**.** आर**.** आई**.,** बैंगलोर द्वारा।दोनों अपराधों का ध्यान रखते हुए एक संयुक्त शिकायत विशेष न्यायालय**,** ओमेरगा**,** महाराष्ट्र के समक्ष दायर की गई थी जिसमें अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधों की भी जांच की गई थी और उनसे निपटा गया था।शिकायत में पर्याप्त सामग्री है कि मादक पदार्थों का परिवहन महाराष्ट्र के ओमेरगा से शुरू हुआ था और कथित तौर पर लिया जाना था

जी.

एच.

942 ए.

943

वेंकटेसन बालासुब्रमण्यन बनाम बौद्धिक अधिकारी, डी. आर. आई. बैंगलोर ए.

चेन्नई पहुँचा और हैदराबाद में रोक लिया गया।शिकायत में हैदराबाद में अपीलार्थियों की यात्रा और अवरोधन सहित विस्तृत तथ्य दिए गए हैं।**[**पैरा **12] [951-**डी**-**एफ**]**

2. यह भी प्रस्तुत नहीं किया गया था कि जिस न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ सामान्य शिकायत दर्ज की गई थी**,** उसके पास जांच करने और अपराध का मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।यह कुछ गलत संचार के कारण था कि जिस समय न्यायालय ने **12.07.2018** पर आदेश पारित किया था**,** उस समय **06.07.2018** दिनांकित संयुक्त शिकायत दर्ज करने के तथ्य को विशेष न्यायालय**,** हैदराबाद के ध्यान में नहीं लाया गया था। हालाँकि**,** उसी तारीख का पत्र **12.07.2018** विशेष न्यायालय**,** हैदराबाद को विशेष न्यायालय**,** ओमेरगा से अपीलार्थियों की हिरासत के लिए अनुरोध करते हुए प्राप्त हुआ था**,** जिसे अगले दिन विशेष न्यायालय**,** हैदराबाद द्वारा भी हिरासत में लिया गया था**,** अर्थात **13.07.2018**।**[**पैरा **11] [951-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

3. इन सभी तथ्यों को धारा **439 (2) Cr.P.C** के तहत दायर आवेदन में उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था। संयुक्त शिकायत **06.07.2018** पर दायर की गई थी**,** यानी **180** दिनों के भीतर**,** उच्च न्यायालय ने **12.07.2018** पर अपीलार्थियों को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की।**[**पारस **11** और **12] [951-**डी**,** एफ**]**

डी.

4. अपीलार्थियों के लिए धारा **439 Cr.P.C** के तहत नए सिरे से ओमर्गा न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत आवेदन दायर करने की अनुमति है**,** जिस पर गुण**-**दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।**[**पैरा **13] [951-**एच**]**

ई.

पंडित ज्ञानू खोट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

(2008) 17 एस**.** सी**.** सी**. 745-**पर निर्भर।संदर्भित निर्णय

एफ.

(2008) 17 एस**.** सी**.** सी**. 745**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **10**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2020 की आपराधिक अपील संख्या 715।

2018 की आपराधिक याचिका संख्या 10524 में हैदराबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.11.2018 से।के साथ

जी.

आपराधिक अपील Nos.802 और 2020 का 803।

एच.

944

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., एम. करपागा विनयगम, वरिष्ठ अधिवक्ता, राज नारायणन, एस. सी. वी. विमल पानी, ए. लक्ष्मीनारायणन, अभिषेक कुमार, संजय कुमार त्यागी, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण**,** जे।

बी.

1. छुट्टी दे दी गई।ये तीन अपीलें प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2018 की आपराधिक याचिका No.10524 में हैदराबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय के दिनांक 30.11.2018 के सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।धारा 439 (2)

Cr.P.C के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका को महानगर सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद द्वारा दिनांक 12.07.2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों को दी गई जमानत को रद्द करने की अनुमति दी गई है।

सी.

2. इन अपीलों में तथ्य और मुद्दे समान होने के कारण, एसएलपी से उत्पन्न आपराधिक अपील में अभिवचनों को संदर्भित करना पर्याप्त होगा।

(सीआरएल**.) 2019** का **No.1452-**वेनकटेसन बालासुब्रमण्यन बनाम। द**.**

इन सभी अपीलों पर निर्णय लेने के लिए खुफिया अधिकारी**,** जिनके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं**:-**

डी.

2.1 11.01.2018 पर, नंबर वाली कार। के. ए. 39 एम. 2117 को राजस्व खुफिया निदेशालय (इसके बाद "डी. आर. आई". के रूप में संदर्भित), हैदराबाद द्वारा टोल प्लाजा, कामकोले गाँव, मुनिपल्ली मंडल, संगारेड्डी जिला, तेलंगाना में रोका गया था जिसमें अपीलार्थियों (चालक और दो पुरुष) यात्रा कर रहे थे।यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कार में कुछ अवैध रूप से छिपाया है, अपीलार्थियों ने अन्य दो व्यक्तियों के साथ अपना परिचय दिया, अपीलार्थियों ने नकारात्मक जवाब दिया।अधिकारियों ने कार की तलाशी ली और कार के बूट की बगल की दीवारों पर पीछे की सीटों के पीछे धातु के दरवाजों के साथ झूठा आवरण पाया।अपीलार्थियों ने दरवाजा खोला और बूट की दीवारों से जुड़े आवरण में सफेद रंग के पैकेट वाले कुछ पारदर्शी पैकेट पाए गए।अपीलार्थियों ने बताया कि पैकेट मादक पदार्थों के थे, जिन्हें सूरज नाम के एक व्यक्ति द्वारा कार में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के ओमेरगा में लादा गया था, जिसे चेन्नई में वितरित किया जाना था।पंचों और अपीलार्थियों की उपस्थिति में अधिकारियों ने पैकेट खोला और पैकेट में सामग्री का परीक्षण किया।अपीलार्थियों को डी. आर. आई., हैदराबाद के कार्यालय ले जाया गया।पैकेटों (मेथाक्वालोन) की कुल मात्रा का वजन 45.874 किलोग्राम था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

945

वेंकटेसन बालासुब्रमण्यन बनाम बौद्धिक अधिकारी, डी. आर. आई. बैंगलोर [अशोक भूषण, जे.] ए.

ए.

2.2 एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 (इसके बाद "अधिनियम, 1985" के रूप में संदर्भित) की धारा 42 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया था।डी. आर. आई. अधिकारियों ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 22,28 और 29 के तहत अपराध करने के लिए सभी अभियुक्त-अपीलार्थियों के खिलाफ एक अपराध रिपोर्ट तैयार की और उन्हें छठे अतिरिक्त सी. एम. एम., हैदराबाद के समक्ष पेश किया। 12.01.2018 पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड के लिए आवेदन की अनुमति दी और अपीलार्थियों को 25.01.2018 तक रिमांड पर भेज दिया गया।<आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों को विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय, डी. आर. आई., हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया।अपीलार्थियों के रिमांड को समय-समय पर बढ़ाया गया था। 10.07.2018 पर अपीलार्थियों को केवल दो दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया था क्योंकि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित 180 दिन 12.07.2018 पर समाप्त हो रहे थे।

बी.

सी.

2.3 12.07.2018 पर, चूंकि 180 दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए अपीलार्थियों ने जमानत याचिका दायर की।विशेष सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद ने अपीलार्थियों को धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत जमानत दे दी। 12.07.2018 पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ओमेरगा, महाराष्ट्र से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थियों की हिरासत डी. आर. आई., बैंगलोर को सौंपने के लिए विद्वान गया था क्योंकि उन्हें 2018 के विशेष मामले (एन. डी. पी. एस.) No.17 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ओमेरगा, महाराष्ट्र के समक्ष पेश होने की आवश्यकता थी।हैदराबाद की सत्र न्यायालय ने डी. आर. आई., बैंगलोर को आई. डी. 1 पर तीन अभियुक्तों की हिरासत प्रदान की।डी. आर. आई., बैंगलोर ने अपीलार्थियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ओमेरगा, महाराष्ट्र के समक्ष 14.07.2018 पर पेश किया, जहाँ उन्हें 27.07.2018 तक रिमांड पर भेज दिया गया।

डी.

ई.

एफ.

2.4 डी. आर. आई., बैंगलोर ने हैदराबाद मामले में रिकॉर्ड को ओमेरगा सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए विशेष न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष आवेदन दायर किया। 24.08.2018 पर, विशेष सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद ने रिकॉर्ड को ओमेरगा न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।जब विशेष न्यायालय, ओमेरगा, महाराष्ट्र को पता चला कि अपीलकर्ता-अभियुक्तों को पहले ही 12.07.2018 पर जमानत दी जा चुकी है, जिससे पहले 06.07.2018 पर ओमेरगा न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया जा चुका था, जिसे 11.07.2018 पर फाइल में लिया गया था।

जी.

एच.

946

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

डी. आर. आई., बैंगलोर को स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। डी. आर. आई., बैंगलोर ने 2018 की आपराधिक याचिका संख्या 10524 दायर करके उच्च न्यायालय में धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया।उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.11.2018 के विवादित आदेश द्वारा धारा 167 (2) Cr.P.C. दिनांक 12.07.2018 के तहत दी गई जमानत को रद्द कर दिया।दिनांकित 30.11.2018 आदेश के खिलाफ पीड़ित, ये अपीलें तीन अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई हैं।

बी.

3. इस न्यायालय ने 22.02.2019 पर ध्यान दिया कि अपीलार्थियों में से केवल एक, यानी, विल्लायुथम नागू को दिनांकित 12.07.2018 के जमानत आदेश के अनुसरण में रिहा किया गया है, अंतरिम आदेश अकेले विल्लायुथम नागू द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में पारित किया गया था और अन्य दो अपीलार्थी अभी भी हिरासत में हैं, सभी मामलों में नोटिस जारी किए गए थे।

सी.

4. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम. करपागा विनयगम को सुना है।प्रत्यर्थी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए।

डी.

5. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष जब मामला आईडी1 पर लिया गया था तो न तो विशेष न्यायालय हैदराबाद के समक्ष कोई आरोप पत्र दायर किया गया था और न ही विशेष न्यायालय को कोई जानकारी दी गई थी कि कोई आरोप पत्र दायर किया गया है।एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए (डी) के तहत कोई शिकायत 12.07.2018 द्वारा दायर नहीं की गई थी, जिस अवधि तक, 180 दिन समाप्त हो गए थे, विद्वान विशेष न्यायालय ने सभी अपीलार्थियों को 12.07.2018 पर डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी।अभियुक्त धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार थे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत विशेष

अदालत के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के बजाय, प्रत्यर्थी ने धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जब जमानत का आदेश विशेष अदालत, डी. आर. आई., बैंगलोर द्वारा पारित किया गया था, तो उसे विशेष अदालत को यह स्पष्टीकरण देते हुए जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सूचित करना चाहिए था कि संयुक्त शिकायत दर्ज करने के तथ्य को विशेष अदालत को क्यों सूचित नहीं किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. आर. आई. हैदराबाद द्वारा अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी ओमेरगा मामले से पूरी तरह से अलग है, जो ओमेरगा में स्थित कारखाने में निर्मित प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी से संबंधित है।अपीलार्थियों पर केवल कब्जा करने और परिवहन के अपराध के लिए आरोप लगाया जाना है।ए के निर्माण के संदर्भ में अपीलार्थियों की कोई भूमिका नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

947

वेंकटेसन बालासुब्रमण्यन बनाम बौद्धिक अधिकारी, डी. आर. आई. बैंगलोर [अशोक भूषण, जे.] ए.

ओमेरगा के कारखाने में प्रतिबंधित पदार्थ।प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती डी. आर. आई., हैदराबाद द्वारा 11.01.2018 पर केवल दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच की गई थी:30 हैदराबाद में पीएम जबकि ओमेरगा में कारखाने से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी डी. आर. आई., बैंगलोर द्वारा केवल 11.01.2018 पर शाम 4:30 बजे और 12.01.2018 पर की गई थी।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब विशेष न्यायालय को 10.07.2018 या 12.07.2018 पर सूचित नहीं किया गया था कि 06.07.2018 पर कोई आरोप पत्र दायर किया गया है, तो विशेष न्यायालय द्वारा धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत देने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी।

बी.

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों का खंडन करते हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि अपीलार्थियों की कार को हैदराबाद में विशिष्ट और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर रोका गया था कि मेसर्स प्रगति इलेक्ट्रिकल वर्क ओमेरगा के परिसर में बड़ी मात्रा में एनडीपीएस पदार्थ का अवैध रूप से निर्माण विद्वान जा रहा है, जिसे चेन्नई ले जाया जा रहा है।विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर अपीलार्थियों से कुल 45.874 किलोग्राम एनडीपीएस पदार्थ जब्त किया गया था।आई. डी. 1 किलोग्राम मादक पदार्थ की जब्ती

के संबंध में अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत दर्ज अभियुक्त संख्या 5,6 और 7 (अपीलकर्ताओं) के स्वैच्छिक बयानों में उन्होंने कहा है कि वे चेन्नई के लिए ओमेरगा से शुरू हुए थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 45.874 किलोग्राम की जब्ती सहित घटनाओं के पूरे क्रम को ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त आरोप पत्र दायर किया गया है। डी. आर. आई., हैदराबाद द्वारा एन. डी. पी. एस. पदार्थ जिसमें वर्तमान अपीलार्थियों अभियुक्त संख्या 5,6 और 7 हैं।यह 06.07.2018 पर दायर की गई संयुक्त शिकायत की जानकारी के संचार न होने के कारण था, विशेष न्यायालय द्वारा 12.07.2018 पर डिफ़ॉल्ट जमानत देने का आदेश पारित किया गया था, जबकि उसी दिन, विशेष न्यायालय, हैदराबाद को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जहां विशेष न्यायालय, ओमेरगा ने आरोपी की हिरासत के लिए कहा था।सभी अपीलार्थियों ने धारा 439 Cr.P.C के तहत ओमेरगा न्यायालय के समक्ष 18.07.2018 पर जमानत याचिका दायर की, जिसे बाद में 25.09.2018 पर जमानत याचिका वापस ले ली गई।<ID1 पर, अभियुक्तों में से एक, विल्लायुथम नागू द्वारा शर्तों को पूरा करने पर, विद्वान ओमर्गा न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को 31.10.2018 पर रिहा कर दिया और बाकी दो अभियुक्त अभी भी उस्मानाबाद जेल में हैं। उच्च न्यायालय ने जमानत को सही ढंग से रद्द कर दिया, जिसे पहले विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिया गया था और संयुक्त शिकायत 06.07.2018 पर दायर की गई थी, जिसे 11.07.2018 पर भी फाइल में लिया गया था, अपीलार्थियों धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत देने के हकदार नहीं थे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. अपीलार्थियों की कार जिसमें वे ओमेरगा से हैदराबाद जा रहे थे, उसे हैदराबाद के पास कामकोले के पास हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई के डी. आर. आई. अधिकारियों ने रोक लिया और

अपीलार्थियों के कब्जे से 2 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया।एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान में अपीलार्थियोंओं ने कहा है कि वे उस कार में ओमेरगा से चेन्नई गए हैं जिसमें मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था।विशेष न्यायालय, हैदराबाद द्वारा अपीलार्थियों की रिमांड समय-समय पर 12.07.2018 तक बढ़ा दी गई थी। आई. डी. 2 पर, मेसर्स प्रगति इलेक्ट्रिकल वर्क, एम. आई. डी. सी. ओमेरगा, महाराष्ट्र के कारखाने परिसर में ओमेरगा में मादक पदार्थ की बरामदगी भी की गई, जिस पर डी. आर. आई. ने एक मामला दर्ज किया है और खुफिया अधिकारी, डी. आर. आई., बैंगलोर द्वारा विशेष न्यायालय, ओमेरगा के समक्ष एक संयुक्त शिकायत दर्ज की गई है।एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 38 सहपठित धारा 21 (सी), 22 (सी), 23 (सी), 28 और 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 36 ए (1) (डी) के तहत शिकायत खुफिया अधिकारी, डी. आर. आई. द्वारा उमरगा न्यायालय में दिनांक 06.07.2018 दर्ज की गई है।शिकायत में अपीलार्थियों को आरोपी संख्या 5,6 और 7 बनाया गया है।प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त शिकायत को अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ अभिलेख पर लाया गया है जिसमें अन्य आरोपों और तथ्यों के अलावा अभियुक्त संख्या 5,6 और 7, यानी इन अपीलों में अपीलार्थियों के संबंध में पैराग्राफ 110 और 111 में निम्नलिखित कहा गया हैः-

बी.

सी.

डी.

ई.

“110. शिकायतकर्ता प्रस्तुत करता है कि, आरोपी संख्या 5,6 और 7 अर्थात श्री विल्लौथम नागू (ए 5), श्री वेंकटेशन बालासुब्रमण्यन (ए 6) और श्री विजय कुमार एल (ए 7), जो अपनी कार में वाणिज्यिक मात्रा में "केटामलेन हाइड्रोक्लोराइड" एक साइकोट्रोपिक पदार्थ रख रहे थे/ले जा रहे थे। केए-39-एम-2117 को ओमेरगा से चेन्नई तक और उसे 11.01.2018 पर जब्त कर लिया गया।इसलिए, उन्होंने धारा 8 (सी) के तहत अपराध किया था और 9 ए को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 28, धारा 29 और धारा 38 के सहपठित धारा 21 (सी), धारा 22 (सी), धारा 23 (सी) के तहत दंडित किया जा सकता है।

एफ.

जी.

111. आरोपी संख्या 5,6 और 7 से जब्त किए गए केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को महाजर दिनांक 11/12.01.2018 के तहत और 11.02.2018 के तहत ए को प्रस्तुत किया गया है।

एच.

वेंकटेसन बालासुब्रमण्यन बनाम बौद्धिक अधिकारी, डी. आर. आई. बैंगलोर [अशोक भूषण, जे.] ए.

माननीय न्यायालय एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 60,61,62 और 63 के प्रावधानों के तहत सीलबंद लिफाफे में विभिन्न ज्ञापनों को जब्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह माननीय न्यायालय एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में उपरोक्त वस्तुओं की जब्ती से संबंधित उचित आदेश पारित कर सकता है।

एस. एल. नहीं।	मात्रा	टिप्पणियां
1	45.874 किग्रा.	महाज़ार दिनांक 11.01.2018 के तहत जब्त किया गया
2	500 ग्राम	महाज़ार दिनांक के तहत जब्त किया गया, 11/12.01.2018
3	9.65 किग्रा.	महाज़ार दिनांक 11.06.2018 के तहत जब्त किया गया

बी.

सी.

9. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर 06.07.2018 पर आरोप पत्र दायर किए जाने के कारण, अभियुक्त को धारा 167 Cr.P.C के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

डी.

“8. .....रिकॉर्ड से यह पता लगाया जा सकता है कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, ओमेरगा के समक्ष 06.07.2018 पर एकल आरोप पत्र दाखिल करने को किसी भी कारण से महानगर सत्र न्यायालय, हैदराबाद के संज्ञान में नहीं लाया गया था।चूंकि तथ्यात्मक पहलू यह है कि आरोप पत्र 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया था, इसलिए प्रतिवादी-अभियुक्त धारा 167 (2) के तहत लाभ के हकदार नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी-अभियुक्त धारा 437 और 439 सहपठित एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित

प्रावधानों के अनुसार जमानत के हकदार हैं और तदनुसार वे उक्त प्रावधानों के तहत उपचार तैयार करने के हकदार हैं।"

ई.

एफ.

10. यह सच है कि धारा 167 (2) Cr.P.c के तहत जमानत दी गई है।धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत रद्द किया जा सकता था।इस न्यायालय में

पंडित ज्ञानू खोट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**, (2008)**

जी.

17 एस. सी. सी. 745 उस मामले पर विचार करते हुए जहां धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत दी गई जमानत को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत रद्द कर दिया गया था, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए धारा 439 Cr.P.C के तहत आदेश को बरकरार रखा।फैसले के पैराग्राफ 7,8 और 9 इस प्रकार हैंः-

एच.

"7. वर्तमान मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302,307,147,148,149,324 और 323 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।अभियुक्तों को 28-10-2000 पर गिरफ्तार किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।उन्होंने 25-1-2001 पर धारा 167 (2) न्यायालय प्रक्रिया संहिता के तहत इस आधार पर जमानत पर रिहा करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र जमा नहीं किया गया था और अदालत ने धारा 167 (2) न्यायालय प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके उसी तारीख को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। राज्य ने जमानत रद्द करने के लिए सत्र न्यायाधीश, कोल्हापुर के समक्ष न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (5) और धारा 439 (2) के तहत 31-1-2001 पर एक आवेदन दायर किया।इससे पहले कि उक्त आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा विद्वान जा सके, आरोपी ने एक अतिरिक्त आवेदन को प्राथमिकता दी। 8 यह प्रस्तुत करते हुए कि धारा 437 (5) और 439 (2) के तहत एक आवेदन सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं था और राज्य को जमानत को रद्द करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए था।उस आवेदन को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा

दिनांक 3-3-2001 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर अपास्त करना दिया कि अभियुक्तों को 89 वें दिन, यानी 90 दिनों की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

8. हमारे विचार में, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करने में बुनियादी त्रुटि की है जो विशेष रूप से उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को इस तरह की जमानत को रद्द करने का अधिकार देता है।धारा 439 (2) निम्नानुसार हैः

“439. जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ।—(1)***

एफ.

(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे अभिरक्षा में रखा जाए।”

9. धारा 167 का परंतुक स्वयं स्पष्ट करता है कि धारा 167 (2) के तहत जमानत पर रिहा किए गए प्रत्येक व्यक्ति को अध्याय XXXIII के तहत इस तरह से रिहा किया गया माना जाएगा। इसलिए, यदि किसी व्यक्ति को धारा 167 (2) के तहत अवैध रूप से या गलती से जमानत पर रिहा किया जाता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत उचित परंतुक पारित करके उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। इस न्यायालय ने पूरन बनाम रामबिलास [(2001) 6 एस. सी. सी. 338] मामले में यह भी स्पष्ट किया है कि एक अन्यायपूर्ण, अवैध ए.

जी.

एच.

951

वेंकटेसन बालासुब्रमण्यन बनाम बौद्धिक अधिकारी, डी. आर. आई. बैंगलोर [अशोक भूषण, जे.] ए.

या विकृत आदेश इस आधार पर जमानत रद्द करने की अवधारणा से पूरी तरह से अलग है कि आरोपी ने खुद को गलत तरीके से पेश किया है या कुछ नए तथ्यों के कारण इस तरह के रद्द

करने की आवश्यकता है।”11. हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ओमेरगा न्यायालय, जहां अभियुक्त के खिलाफ सामान्य शिकायत दर्ज की गई है, के पास अपराध की जांच करने और मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।यह कुछ गलत संचार के कारण था कि जिस समय न्यायालय ने 12.07.2018 पर आदेश पारित किया था, उस समय 06.07.2018 दिनांकित संयुक्त शिकायत दर्ज करने के तथ्य को विशेष न्यायालय, हैदराबाद के ध्यान में नहीं लाया गया था।हालाँकि, उसी तारीख का पत्र 12.07.2018 विशेष न्यायालय, हैदराबाद को विशेष न्यायालय, ओमेरगा से अपीलार्थियों की हिरासत के लिए अनुरोध करते हुए प्राप्त हुआ था, जिसे अगले दिन विशेष न्यायालय, हैदराबाद द्वारा भी हिरासत में लिया गया था, अर्थात 13.07.2018।इन सभी तथ्यों को धारा 439 (2) Cr.P.C के तहत दायर आवेदन में उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था और उच्च न्यायालय ने दिनांकित 12.07.2018 के जमानत आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।हमें उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.07.2018 के जमानत आदेश को रद्द करने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

बी.

सी.

डी.

12. यह सच है कि दो अपराध, एक हैदराबाद में डी. आर. आई., हैदराबाद के कहने पर 2018 का डी. आर. आई. 48 दर्ज किया गया था और दूसरा मामला डी. आर. आई., बैंगलोर, क्षेत्रीय इकाई द्वारा 2018 का विशेष एन. डी. पी. एस. संख्या 17 दर्ज किया गया था। दोनों अपराधों का ध्यान रखते हुए एक संयुक्त शिकायत विशेष न्यायालय, ओमर्गा के समक्ष दायर की गई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधों की भी जांच की गई थी और उनसे निपटा गया था।शिकायत में पर्याप्त सामग्री है कि मादक पदार्थों का परिवहन महाराष्ट्र के ओमेरगा से शुरू हुआ था और कथित तौर पर चेन्नई ले जाया जाना था और हैदराबाद में रोका जाना था।अभिलेख पर लाई गई शिकायत में हैदराबाद में अपीलार्थियों की यात्रा और अवरोधन सहित विस्तृत तथ्य दिए गए हैं।संयुक्त शिकायत 06.07.2018 पर दायर की गई है, यानी 180 दिनों के भीतर, उच्च न्यायालय ने 12.07.2018 पर अपीलार्थियों को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

ई.

एफ.

13. इस प्रकार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।हमने ऊपर उल्लेख किया है कि धारा 439 Cr.P.C के तहत नियमित जमानत आवेदन अपीलार्थियों द्वारा ओमेरगा न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसे

25.09.2018 पर वापस ले लिया गया था, हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के लिए धारा 439 Cr.P.C के तहत ओमेरगा न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत आवेदन दायर करने के लिए खुला है।

जी.

एच.

952

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 9 एस सी आर।

उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय या हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों में पारित आदेश द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी।हम आगे देखते हैं कि धारा 439 Cr.P.C के तहत अपीलार्थियों द्वारा दायर की जाने वाली जमानत याचिका पर विचार किया जाए और शीघ्रता से निर्णय लिया जाए। 12.07.2018 दिनांकित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करना दिया गया है, जिसके आदेश की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, अपीलार्थी , विल्लायुथम नागू को विशेष न्यायालय, ओमर्गा के समक्ष आत्मसमर्पण करना है।उपरोक्त रूप में अपीलार्थियों को दी गई स्वतंत्रता के अधीन सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

बी.

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

953

[2020] 9 एस. सी. आर 953

ए.

जतिंदरवीर अरोड़ा और ओआरएस. बनाम.

पंजाब राज्य

(2019 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 452) 25 नवंबर, 2020

बी.

[ऋषिकेश रॉय**,** जे।**]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस।406 – अधिकार क्षेत्र के तहत अधिकारःशक्तियाँ यू/एस।406 प्रत्येक मामले का प्रयोग संयम से और केवल योग्य मामलों में किया जाना चाहिए-प्रत्येक मामले का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए-निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई न होने की आशंका को सामान्य आरोपों पर आधारित नहीं किया जा सकता है-स्थानांतरण के लिए विचार केवल याची की सुविधा नहीं हो सकती है, बल्कि शिकायतकर्ता, गवाहों और अभियोजन पक्ष की भी-स्थानांतरण न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी प्रतिबिंबित होगा-वर्तमान मामले के तथ्य यह नहीं दर्शाते हैं कि राज्य में स्थिति अभियोजन के लिए निष्पक्ष सुनवाई और मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए अनुकूल नहीं थी-हालाँकि, राज्य को निचली अदालतों में कार्यवाही का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने और याची ओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज करते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमे के हस्तांतरण के लिए**,** न्यायालय को ऐसे कारकों के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए जो एक निष्पक्ष मुकदमे का संचालन करना असंभव बना देंगे।हालांकि अधिभारित वातावरण का सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं है।निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की आशंका**,** अभियुक्त की कुछ शिकायतों या सुविधा पर आधारित नहीं हो सकती है**,** लेकिन कारण इससे अधिक सम्मोहक होने चाहिए।हालाँकि स्थानांतरण याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए कोई सार्वभौमिक नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं और प्रत्येक मामले का निर्णय केवल उसी मामले की पृष्ठभूमि में किया जाना है।इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मुकदमे को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है**,** तो यह न्यायालय पर आक्षेप लगाने के समान होगा**,** जिसके पास मामले की सुनवाई करने के लिए वैध अधिकार क्षेत्र होगा।इसलिए धारा **406** सी**.**

आर. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग संयम से और केवल योग्य मामलों में किया जाना चाहिए जब निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई बाहरी कारकों से अप्रभावित हो।

एफ.

जी.

एच.

953 ए.

954 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस. सी. आर.

संभव है।यदि अदालतें जनता की भावनाओं से प्रभावित हुए बिना काम करने में सक्षम हैं, तो मुकदमे को स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं होगा।**[**पैरा **11] [962-**बी**-**डी**]**

मेनका संजय गांधी बनाम रानी जेठमलानी **(1979) 4** एस. सी. सी. **167:**अब्दुल नजर मदन बनाम टी. एन. राज्य और अन्न।

(2000) 6 एससीसी 204:[2000] 3 एस. सी. आर. 1028; आर. बालकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य (2000) 7 एस. सी. सी. 129:[2000] 3

बी.

पूरक।एस. सी. आर. **26;** ज़हिरा हबीबुल्लाह एच. शेख बनाम राज्य

गुजरात (2004) 4 एस. सी. सी. 158:[2004] 3 एससीआर 1050;

श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल (द्वितीय), टी. एन. बनाम.की स्थिति

टी. एन. (2005) 8 एससीसी 771:[2005] 4 पूरक।एससीआर 556;

सी.

कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल और अन्य।

(2009) 6 एससीसी 260:[2009] 9 एस. सी. आर. 194; नाहर सिंह

यादव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। **(2011) 1** एससीसी

307 :[2010] 13 एस. सी. आर. 851; उमेश कुमार शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 845-पर भरोसा किया।

डी.

2. अधिभारित वातावरण का प्रक्षेपण याचिकाकर्ताओं की संबंधित प्रतिक्रिया से नहीं होता है, जो जमानत पर बाहर हैं।पंजाब के निवासी होने के नाते, वे अपने सामान्य स्थान पर रहना जारी रखते हैं और अपने नियमित कार्यों के बारे में जा रहे हैं।यदि उनकी खतरे की धारणाएँ वास्तविक होतीं, तो वे अपने सामान्य तरीकों से नहीं चल सकते थे।इस कारण से, न्यायालय यह मानने के लिए इच्छुक है कि राज्य में माहौल परीक्षण स्थल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने को उचित नहीं ठहराता है।**[**पैरा **13] [962-**जी**; 963-**ए**]**

ई.

3. जबकि बचाव पक्ष के वकीलों में से एक का व्यक्तिगत आधार पर मामले से खुद को अलग करने का एक विशिष्ट उदाहरण है, दोनों नियमित वकील बिना किसी विराम या कठिनाई के आरोपी का बचाव करना जारी रखते हैं।इससे पता चलता है कि पंजाब में याचिकाकर्ताओं के बचाव से समझौता नहीं किया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त कानूनी सहायता मिल रही है।**[**पैरा **5] [960-**बी**-**सी**]**

एफ.

4. याचिकाकर्ताओं में से एक से संबंधित एकमात्र मामले पर अन्य सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा बिना किसी आधार के भरोसा किया जाता है।कार्यवाहियों के आदेश पत्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट ने सावधानी बरती और ए**.**

जी.

एच.

यह सुनिश्चित करें कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और बयान स्वतंत्र था और दबाव में नहीं था।**[**पैरा **6] [960-**डी**-**ई**]**

5. जहाँ तक जेल में एक अभियुक्त की मृत्यु का संबंध है, राज्य का अनुमान है कि उसकी हत्या कुछ अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जेल कैदियों द्वारा की गई थी और इस घटना के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है, आरोप पत्र दायर किया गया है और मुकदमा शुरू किया गया है।इस स्तर पर यह कहना संभव नहीं है कि क्या इस घटना का अन्य मामलों से कोई संबंध है या यह एक स्वतंत्र घटना है।इस मुद्दे को छोड़कर, किसी भी याचिकाकर्ता ने न्यायालय या पुलिस के समक्ष कोई शिकायत नहीं उठाई है और तदनुसार उनकी स्थानांतरण याचिका के खिलाफ निष्कर्ष निकालना होगा।**[**पैरा **14] [963-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

6. अपवित्रता की घटनाएं **2015** में हुईं और याचिकाकर्ताओं को मामलों में आरोपी बनाए हुए **2** साल से अधिक समय हो गया है।इस लंबी अवधि के दौरान**,** याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी सुरक्षा या उनके सहयोगियों के लिए किसी भी खतरे की कोई शिकायत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के ज़िम्नी आदेश अभियुक्त या उनके परिवार द्वारा सामना किए गए किसी भी पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाते हैं।**[**पैरा **14] [963-**बी**-**सी**]**

डी.

7. मामला पंजाब राज्य से आता है और आरोपी**,** गवाह और अभियोजक सभी राज्य से हैं। यदि मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया जाता है**,** तो उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।राज्य की दलील से पता चलता है कि जिन अभियुक्तों को खतरा है**,** उन्हें जिला पुलिस द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गई है।राज्य के डी**.** जी**.** पी**.** के आदेश पर विस्तृत व्यवस्था की गई है और सुनवाई की तारीख पर याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित न्यायालयों में अतिरिक्त बल तैनात किया जाता है।**[**पैरा **8] [961-**डी**-**ई**]**

ई.

एफ.

8. छह मामलों में से एक मामले में सुनवाई अंतिम दलीलों के चरण में है।अन्य पाँच मामले साक्ष्य या आरोप के चरण में हैं।इसलिए अभियोजन पक्ष**,** राज्य और जिन गवाहों ने अभी तक गवाही नहीं दी है**,** उनके लिए बिना किसी ठोस कारण के कार्यवाही को स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे अनिवार्य रूप से मुकदमे में देरी होगी।सभी पक्षों की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए**,** न कि केवल उस पक्ष पर जो स्थानांतरण की मांग कर रहा है।**[**पैरा **15] [963-**ई**-**एफ**]**

जी.

एच.

9. अभियुक्तों में से एक के संबंध में प्राथमिकी के संबंध में**,** शिकायतकर्ता द्वारा मामले को जे**.** एम**.** आई**.** सी**.,** फुल से भटिंडा में किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ आवेदन दायर किया गया था।अभियुक्त ने स्थानांतरण आवेदन का विरोध किया था।ऐसी परिस्थितियों में**,** इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे के स्थान को स्थानांतरित करने के लिए की गई विपरीत याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न मंचों के समक्ष मुकदमे के स्थान को स्थानांतरित करने पर परस्पर विरोधी रुख अपनाया है।**[**पैरा **16] [963-**जी**-**एच**]**

बी.

श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल (द्वितीय), टी. एन. बनाम.की स्थिति

टी. एन. (2005) 8 एससीसी 771:[2005] 4 पूरक।एससीआर 556;

ज़हिरा हबीबुल्लाह एच**.** शेख बनाम गुजरात राज्य **(2004)**

सी.

4 एससीसी **158:[2004] 3** एससीआर **1050-**प्रतिष्ठित।

10. उपलब्ध सामग्री से**,** न्यायालय उचित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि पंजाब में स्थिति याचिकाकर्ताओं के लिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है।कुछ उदाहरण विभिन्न समूहों के बीच बढ़ी हुई भावनाओं का संकेत दे सकते हैं**,** लेकिन वे कार्यवाही को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का आह्वान नहीं करते हैं।**[**पैरा **18] [964-**डी**-**ई**]**

डी.

11. इसके अलावा**,** यह केवल याची की सुविधा नहीं हो सकती है**,** बल्कि शिकायतकर्ता**,** गवाहों**,** अभियोजन पक्ष की भी सुविधा हो सकती है।आम तौर पर क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा संचालित किए जा रहे मुकदमे के बड़े मुद्दे को भी इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।जब प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों की सापेक्ष सुविधा और कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाता है**,** तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि वर्तमान मामलों में पंजाब राज्य के बाहर वैकल्पिक स्थानों पर मुकदमे के हस्तांतरण के लिए कोई विश्वसनीय मामला नहीं बनाया गया है।**[**पैरा **19] [964-**ई**-**एफ**]**

ई.

एफ.

12. मुकदमे का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण अनिवार्य रूप से राज्य की न्यायपालिका की विश्वसनीयता को प्रतिबिंबित करेगा।बाध्यकारी कारकों और निष्पक्ष न्याय से वंचित होने की स्पष्ट स्थिति को छोड़कर**,** हस्तांतरण शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।वर्तमान मामलों के समूह को ऐसी असाधारण श्रेणियों में से एक नहीं माना जाता है।**[**पैरा **21] [965-**ए**]**

जी.

13. वैकल्पिक याचिका कि यदि मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है**,** तो उन्हें चंडीगढ़ स्थानांतरित किया जाना चाहिए**,** याचिकाकर्ताओं का अनुरोधित मामला नहीं था। प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल पंजाब की राजधानी है और भले ही चंडीगढ़ एक यूनियन ए है।

एच.

क्षेत्र, शहर में जनसंख्या पैटर्न पंजाब के बाकी हिस्सों की तरह है।इसलिए इन मामलों में अनुरोध किए गए आधारों पर ऐसी वैकल्पिक याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। **[**पैरा **20] [964-**जी**-**एच**]14.** फिर भी, राज्य को, जैसा कि इस न्यायालय को आश्वासन दिया गया है, निचली अदालतों में कार्यवाही के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और याचिकाकर्ताओं और उनके सहयोगियों को पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हो।**[**पैरा **22] [965-**बी**]**

बी.

संदर्भित निर्णय

(1979) 4 एससीसी **167**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10**

सी.

पैरा **10**

[2000] 3 एससीआर **1028**

पर भरोसा किया गया |

[2000] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 26** पर निर्भर

पैरा **10**

[2004] 3 एससीआर **1050**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10**

डी.

[2005] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 556** पर निर्भर

पैरा **10**

[2009] 9 एससीआर **194**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10**

[2010] 13 एससीआर **851**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10 [2005] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 556** विशिष्ट पैरा **17 [2004] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1050** विशिष्ट पैरा **17**

ई.

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः2019 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 452।

एफ.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के तहत दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XXXIX के सहपठित पढ़ा जाता है।

के साथ

जी.

स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) सं. 458,459,460,461 और 462

2019.

सुश्री मोनालिसा कोसरिया, B.Shravanth शंकर, सुश्री जसप्रित गोगिया, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय**,** जे।

1. ये याचिकाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 (संक्षेप में "सी. आर. पी. सी".) के तहत दायर की गई हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश XXXIX के सहपठित पढ़ा जाता है, जिसमें भटिंडा, मोगा और फरीदकोट जिलों में अदालतों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के मुकदमे को दिल्ली के सक्षम न्यायालय या पंजाब से बाहर किसी भी निकटवर्ती राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

बी.

2.1 याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि मामले पंजाब में विभिन्न स्थानों पर पवित्र ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिबजी की कथित अपवित्रता से संबंधित हैं, इसलिए एक विशेष धार्मिक समूह के बीच गहरी पीड़ा और कड़वाहट पैदा होती है, जो पंजाब राज्य में आबादी का अधिकांश हिस्सा हैं और इसलिए आरोपी जो डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय के सदस्य हैं, पक्षपात और पूर्वाग्रह का सामना कर रहे हैं और दोष के प्रबल अनुमान के बावजूद निष्पक्ष सुनवाई होने की संभावना नहीं है।

सी.

डी.

2.2 याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भटिंडा और अन्य स्थानों में स्थिति सांप्रदायिक रूप से अधिभारित है, जहां निष्पक्ष सुनवाई लगभग असंभव है।इस तरह के तर्क के समर्थन में, वरिष्ठ वकील ने नाभा केंद्रीय जेल के अंदर 22.06.2019 पर आरोपी मोहिंदर पाल सिंह बिट्टू की हत्या का उल्लेख किया है, जो श्री कुमार के अनुसार, राज्य में कट्टरपंथी तत्वों के हाथों अन्य सह-अभियुक्तों के जीवन के लिए खतरे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

ई.

2.3 इसके अलावा, अभियुक्तों और उनके साथ काम करने वालों जैसे वकीलों, डॉक्टरों और टैक्सी चालकों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की सार्वजनिक अपील की गई है और ये घटनाक्रम अभियुक्तों को अपना बचाव करने में आने वाली गंभीर कठिनाइयों का संकेत देंगे।

एफ.

2.4 विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची जतिंदरवीर अरोड़ा से धारा 164 सीआरपीसी के तहत एक जबरन बयान प्राप्त विद्वान गया था और इससे पता चलता है कि पंजाब में एक निष्पक्ष अभियोजन सुनिश्चित नहीं विद्वान जा सकता है।

2.5 न्यायालय परिसर में सामूहिक सभा जहां ये मामले दी गई तारीखों पर सूचीबद्ध हैं, वरिष्ठ वकील द्वारा अभियुक्त के जीवन के लिए खतरे पर जोर देने के लिए उजागर किया जाता है क्योंकि राज्य द्वारा पर्याप्त व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

जी.

एच.

959

जतिंदरवीर अरोड़ा और ओआरएस. बनाम.पंजाब राज्य [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

ए.

3.1 दूसरी ओर पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरिन पी. रावल का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थानांतरण का कोई मामला नहीं बनाया गया है।वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता पंजाब में अधिभारित वातावरण और अपने जीवन के लिए खतरे की बात करते हैं, जमानत मिलने के बाद, वे बिना किसी खतरे या बाधा के अपने-अपने स्थान पर रहना और अपने मामलों का संचालन करना जारी रखते हैं।राज्य के वकील तब प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को अपना बचाव करने में कोई पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि वही दो प्रमुख वकील शुरू से ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।इसके अलावा, कुछ लोगों द्वारा की गई तथाकथित सार्वजनिक अपील के बावजूद, चिकित्सा या परिवहन सेवा या कानूनी सहायता से इनकार करने का कोई विशिष्ट उदाहरण न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया जाता है।

बी.

सी.

3.2 राज्य के वकील के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने भौतिक तथ्यों को दबा दिया है।इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं में से एक यानी जतिंदरवीर अरोड़ा (सी. एच. आई. संख्या 3/2019) के धारा 164 सी. आर. पी. सी. बयान की एक एकल घटना पर अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्वाग्रह पेश करने के लिए भरोसा किया जा रहा है, हालांकि वे अन्य मामलों में शामिल हैं।इसके बाद यह बताया जाता है कि जतिंदरवीर अरोड़ा ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए स्वेच्छा से अपना बयान दर्ज विद्वान , जिसके लिए उन्हें जे. एम. आई. सी., फूल के सामने आई. डी. 1 पर पेश विद्वान गया था, लेकिन उस तारीख को उनके पैर ठंडे पड़ गए और उन्हें वापस ले जाया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने एस. एस. पी., भटिंडा को आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।बाद में, उसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज किया और यह अब न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा है।उस अवसर पर, संबंधित मजिस्ट्रेट ने सावधानी बरती और खुद को संतुष्ट किया कि याची पर दबाव नहीं डाला गया या धमकी नहीं दी गई और उसने स्वेच्छा से खुलासा किया।

डी.

ई.

3.3 सुरक्षा के मोर्चे पर, श्री रावल ने राज्य के डी. जी. पी. के निर्देश पर प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

एफ.

3.4 यदि मुकदमे के स्थान को पंजाब से बाहर स्थानांतरित किया जाना है, तो गवाहों और अभियोजन पक्ष के लिए कठिनाइयों को भी प्रतिवादी पक्ष से उजागर किया जाता है।

जी.

4. यहाँ इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या पंजाब में स्थिति इतनी सांप्रदायिक रूप से अधिभारित है कि याचिकाकर्ताओं को राज्य के भीतर आयोजित किए जाने पर निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया जाएगा।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, राज्य में स्थिति अधिभारित और गैर-अनुकूल है

एच.

उनके लिए।फिर भी, जैसा कि देखा जा सकता है, याचिकाकर्ता बाहर नहीं गए हैं और राज्य में सामान्य निवास स्थान पर रह रहे हैं और नियमित रूप से अपना काम/व्यवसाय कर रहे हैं। सामाजिक बहिष्कार के आह्वान या चिकित्सा पेशेवरों या टैक्सी ऑपरेटरों से सहयोग से इनकार करने की अपील के कारण इस न्यायालय के संज्ञान में पूर्वाग्रह का कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं लाया गया है।विशेष रूप से, किसी भी धमकी या धमकी के बारे में न्यायालय या अधिकारियों के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है।

बी.

5. जबकि बचाव पक्ष के वकीलों में से एक का व्यक्तिगत आधार पर मामले से खुद को अलग करने का एक विशिष्ट उदाहरण है, दो नियमित वकील श्री के. एस. बरार और श्री आर. के. राणा जनवरी, 2019 से बिना किसी विराम या कठिनाई के आरोपी का बचाव करना जारी रखते हैं। इससे पता चलता है कि पंजाब में याचिकाकर्ताओं के बचाव से समझौता नहीं किया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त कानूनी सहायता मिल रही है।

सी.

6. मामले की सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं में से एक, जतिंदरवीर अरोड़ा ने पहले अवसर पर, 22.11.2018 पर अपना धारा 164 सीआरपीसी बयान दर्ज करने से पीछे हट गए, लेकिन उसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से 01.12.2018 पर अपना बयान दर्ज किया और यह अब निचली न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा है।यह एकमात्र उदाहरण सी. एच. आई. सं. 3/2019 (टी. पी. (सी. आर. एल.) के याचिकाकर्ताओं में से एक से संबंधित) से संबंधित है। No.452/2019), हालांकि बिना किसी आधार के अन्य सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किया जाता है।कार्यवाही के आदेश पत्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट ने सावधानी बरती और दोनों अवसरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को संतुष्ट किया कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और बयान स्वतंत्र था और दबाव में नहीं था।याची द्वारा

दायर अतिरिक्त हलफनामे में सी. एच. आई. No.3/2019 में 01.12.2018 पर बयान की रिकॉर्डिंग का उल्लेख पाया गया है।

डी.

ई.

7. इस स्तर पर उन मामलों पर ध्यान देना उचित होगा जिनके लिए ये स्थानांतरण याचिकाएं दायर की गई हैं और उनमें से किस मामले में याचिकाकर्ताओं की भागीदारी है।निम्नलिखित चार्ट इसे और उन मामलों के शुरुआती चरण को प्रतिबिंबित करेगाः

एफ.

एस. एल. नहीं।	टी. पी. (सी. आर. एल.)	केस नं.	एफ. आई. आर. विवरण	स्टेज
1	टीपी (सीआरएल) नं. 452/2019 जतिंदरवीर अरोड़ा और अन्य। बनाम। पंजाब राज्य	सी. एच. आई. No.3/2019	एफ. आई. आर. No.161/2015 डी. टी. 20.10.2015 पीएस दयालपुरा, जि. - बठिंडा	एन. डी. ओ. एच. चार्ज करें: 21.09.2019
2	टीपी (सीआरएल) नं. 458/2019 बलजीत सिंह और अन्य। बनाम। पंजाब राज्य	सी. एच. आई. No.4/2019	एफ. आई. आर. No.86/2016 डी. टी. 21.06.2016 पीएस दयालपुरा, जि. - बठिंडा	एन. डी. ओ. एच. चार्ज करें: 21.09.2019

जी.

एच.

961

जतिंदरवीर अरोड़ा और ओआरएस. बनाम.पंजाब राज्य [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

ए.

3	टीपी (सीआरएल) नं. 459/2019 पृथ्वी सिंह और अन्य। बनाम। पंजाब राज्य	सी. एच. आई. No.84/2019	एफ. आई. आर. No.79/2015 डी. टी. 04.11.2015 पीएस समालसर, जि. - मोगा	अभियोजन साक्ष्य एनडीओएचः 23.09.2019
4	टीपी (सीआरएल)	सी. एच. आई.	एफ. आई. आर.	एन. डी. ओ. एच.

	नं. 460/2019 बलजीत सिंह और अन्य। बनाम। पंजाब राज्य	No.6/2019	No.98/2016 डी. टी. 03.07.2016 पीएस दयालपुरा, जि. - बठिंडा	चार्ज करें: 21.09.2019
5	टीपी (सीआरएल) नं. 461/2019 बाजित सिंह और अन्य। बनाम। पंजाब राज्य	सी. एच. आई. No.5/2019	एफ. आई. आर. No.89/2016 डी. टी. 29.06.2016 पीएस दयालपुरा, जि. - बठिंडा	एन. डी. ओ. एच. चार्ज करें: 21.09.2019
6	टीपी (सीआरएल) नं. 462/2019 सुखविंदर सिंह @सनी और अन्य। बनाम। पंजाब राज्य	एससी No.67/2019	एफ. आई. आर. No.89/2018 डी. टी. 13.06.2018 पीएस सिटी कोटकापुरा, जि. - फरीदकोट	साक्ष्य एन. डी. ओ. एच.: 09.10.2019

बी.

सी.

8. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि मामला पंजाब राज्य से आता है और आरोपी, गवाह और अभियोजक सभी राज्य से हैं।यदि मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।राज्य की दलील से पता चलता है कि जिन अभियुक्तों को खतरा है, उन्हें जिला पुलिस द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गई है।इस संदर्भ में राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि राज्य के डी. जी. पी. के आदेश पर विस्तृत व्यवस्था की गई है और मुकदमे की तारीख पर, याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित न्यायालयों में अतिरिक्त बल तैनात विद्वान जाता है।इसके अलावा, जैसे-जैसे 2015 में अपवित्रता की घटनाएं हुईं, समय बीतने के साथ, माहौल में काफी कमी आने की उम्मीद है।यह इस तथ्य से भी प्राप्त किया जा सकता है कि पंजाब के विभिन्न जिलों में रहने वाले याचिकाकर्ता बिना किसी रोक-टोक के नियमित तरीके से अपना काम या व्यवसाय कर रहे हैं।

डी.

ई.

एफ.

9. ऐसे परिदृश्य में, यह मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या पंजाब में अदालतों के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई असंभव है या यह केवल अभियुक्त द्वारा आशंका का मामला है।

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और पंजाब राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिन पी रावल ने अपनी प्रतिद्वंद्वी दलीलों के समर्थन में मेनका संजय पर भरोसा विद्वान है।

जी.

गांधी बनाम रानी जेठमलानी 1, अब्दुल नजर मदन बनाम टी. एन. राज्य & एन. आर. 2, आर. बालकृष्ण पिल्लई बनाम केरल राज्य 3, ज़हिरा

1 (1979) 4 एससीसी 167 2 (2000) 6 एससीसी 204 3 (2000) 7 एससीसी 129

एच.

962 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस. सी. आर.

हबीबुल्लाह एच. शेख बनाम गुजरात राज्य 4, श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल (द्वितीय), टी. एन. बनाम टी. एन. राज्य 5, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रकाश सिंह बादल और अन्य। 6 और नाहर सिंह यादव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 7.

11. उपरोक्त निर्णयों से जो कानून का प्रस्ताव निकलता है, वह यह है कि मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए, न्यायालय को ऐसे कारकों के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए जो निष्पक्ष मुकदमे का संचालन करना असंभव बना देंगे।हालांकि अधिभारित वातावरण का सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं है।निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई न होने की आशंका अभियुक्त की कुछ शिकायतों या सुविधा पर आधारित नहीं हो सकती है, लेकिन कारण इससे अधिक सम्मोहक होने चाहिए।हालाँकि स्थानांतरण याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए कोई सार्वभौमिक नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं और प्रत्येक का निर्णय केवल उसी मामले की पृष्ठभूमि में किया जाना है।इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मुकदमे को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह न्यायालय पर आक्षेप लगाने के समान होगा, जिसके पास मामले की सुनवाई करने के लिए वैध अधिकार क्षेत्र होगा।इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत शक्तियों का प्रयोग संयम से और केवल योग्य मामलों में किया जाना चाहिए जब बाहरी कारकों से अप्रभावित निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई बिल्कुल भी संभव न हो।यदि अदालतें जनता की भावनाओं से प्रभावित हुए बिना काम करने में सक्षम हैं, तो मुकदमे को स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

12. इस मुद्दे पर पहले के उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने

उमेश कुमार शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य 8 ने कहा कि कानूनी

ई.

स्थिति इस प्रकार हैः- "20. उपरोक्त कानूनी व्याख्याएँ यह स्पष्ट करती हैं कि संहिता की धारा 406 के तहत हस्तांतरण शक्ति का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए।केवल तभी जब निष्पक्ष न्याय खतरे में हो, स्थानांतरण के लिए एक याचिका पर विचार किया जा सकता है।हालांकि न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा कि निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।समान रूप से यह सत्यापित करना भी महत्वपूर्ण है कि समान अवसर न मिलने की आशंका कुछ विश्वसनीय सामग्री पर आधारित है, न कि केवल अनुमानों और अनुमानों पर।"

एफ.

13. यहां अधिभारित वातावरण का प्रक्षेपण याचिकाकर्ताओं की संबंधित प्रतिक्रिया से नहीं होता है, जो जमानत पर बाहर हैं।पंजाब के निवासी होने के नाते वे अपने सामान्य स्थान पर ही रहते हैं।

जी.

4 (2004) 4 एससीसी 158 5 (2005) 8 एससीसी 771 6 (2009) 6 एससीसी 260 7 (2011) 1 एससीसी 307

8 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 845 ए

एच.

963

जतिंदरवीर अरोड़ा और ओआरएस. बनाम.पंजाब राज्य [ऋषिकेश रॉय, जे.] ए.

और अपने नियमित कार्यों के बारे में जा रहे हैं।यदि उनकी खतरे की धारणाएँ वास्तविक होतीं, तो वे अपने सामान्य तरीकों से नहीं चल सकते थे।इस कारण से, न्यायालय यह मानने के लिए इच्छुक है कि राज्य में माहौल परीक्षण स्थल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने को उचित नहीं ठहराता है।

14. हमें इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपवित्रता की घटनाएं 2015 में हुईं और याचिकाकर्ताओं को मामलों में आरोपी के रूप में पेश किए हुए 2 साल से अधिक समय हो गया है।इस लंबी अवधि के दौरान, याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी सुरक्षा या उनके सहयोगियों के लिए किसी भी खतरे की कोई शिकायत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के ज़िम्नी आदेश अभियुक्त या उनके परिवार द्वारा सामना किए गए किसी भी पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाते हैं।जहाँ तक नाभा जेल में आरोपी बिट्टू की मृत्यु का संबंध है, राज्य का अनुमान है कि उसकी हत्या कुछ अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जेल कैदियों द्वारा की गई थी और इस

घटना के लिए आई. पी. सी. की धारा 242,34,120 बी के तहत पी. एस. सदर, नाभा में एफ़. आई. आर. दर्ज की गई है, आरोप पत्र दायर किया गया है और मुकदमा शुरू किया गया है। इस स्तर पर यह कहना संभव नहीं है कि क्या इस घटना का अन्य मामलों से कोई संबंध है या यह एक स्वतंत्र घटना है।इस मुद्दे को छोड़कर, किसी भी याचिकाकर्ता ने न्यायालय या पुलिस के समक्ष कोई शिकायत नहीं उठाई है और तदनुसार उनकी स्थानांतरण याचिका के खिलाफ निष्कर्ष निकालना होगा।

बी.

सी.

डी.

15. विद्वान राज्य के वकील ने न्यायालय को सूचित विद्वान कि चार्ट में उल्लिखित छह मामलों में से (अप-टू-डेट नहीं), एक मामले में मुकदमा (एफ़. आई. आर. 79/2015-राज्य बनाम पृथ्वी सिंह) अंतिम दलीलों के चरण में है।अन्य पाँच मामले साक्ष्य या आरोप के चरण में हैं। इसलिए अभियोजन पक्ष, राज्य और जिन गवाहों ने अभी तक गवाही नहीं दी है, उनके लिए बिना किसी ठोस कारण के कार्यवाही को स्थानांतरित करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे अनिवार्य रूप से मुकदमे में देरी होगी।यह भी याद रखना चाहिए कि सभी पक्षों की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि केवल उस पक्ष पर जो स्थानांतरण की मांग कर रहा है।

ई.

एफ.

16. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जैसा कि राज्य के वकील द्वारा इंगित किया गया है, पर विचार किया जाएगा।शिकायतकर्ता इकबाल सिंह ने एफ. आई. आर. 161/15 (जतिंदरवीर अरोड़ा बनाम पंजाब राज्य) के संबंध में मामले को जे. एम. आई. सी., फूल से भटिंडा में किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भटिंडा द्वारा दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें यह दर्ज विद्वान गया है कि आरोपी ने स्थानांतरण आवेदन का विरोध विद्वान था। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे के स्थान को स्थानांतरित करने के लिए की गई विपरीत याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न मंचों के समक्ष मुकदमे के स्थान को स्थानांतरित करने पर परस्पर विरोधी रुख अपनाया है।

जी.

एच.

17. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने इस न्यायालय के दो फैसलों (श्री जयेंद्र सरस्वती) पर बहुत अधिक भरोसा विद्वान है।

स्वामीगल (द्वितीय) (ऊपर) और ज़हिरा हबीबुल्लाह एच. शेख (ऊपर)] जहाँ

परीक्षण स्थल को बदलने की अनुमति दी गई थी।वर्तमान मामले में, हालांकि मामला विरोधी समूहों के बीच मजबूत भावनाओं को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन विद्वान अधिवक्ता द्वारा श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल (द्वितीय) (उपर्युक्त) में दिखाई देने वाले ऐसे कोई भारी कारक सामने नहीं लाए गए हैं।में

बी.

दूसरा मामला यानी ज़हिरा हबीबुल्लाह एच. शेख (ऊपर), न्यायालय ने पाया

कि राज्य पक्षपातपूर्ण तरीके से जाँच कर रहा था और न्याय की विफलता की संभावना दिखाई दे रही थी।संबंधित राज्य में न्याय वितरण प्रणाली का विध्वंस देखा गया और सौहार्दपूर्ण वातावरण गायब पाया गया।इस तरह के बाध्यकारी कारकों के लिए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक न्यायालय द्वारा फिर से मुकदमा चलाया जाएगा और लोक अभियोजक को बदला जाएगा।तथापि, वर्तमान मामलों की परिस्थितियों की तुलना उन परिस्थितियों से नहीं की जा सकती जिन पर ध्यान दिया गया है।

सी.

ज़हिरा हबीबुल्लाह एच. शेख (ऊपर) या श्री जयेंद्र में

सरस्वती स्वामीगल (द्वितीय) (उपर्युक्त)।इसलिए, मेरा विचार है कि वर्तमान कार्यवाही में इसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है।18. उपलब्ध सामग्री से, यह न्यायालय उचित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि पंजाब में स्थिति याचिकाकर्ताओं के लिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है।याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उल्लिखित कुछ उदाहरण विभिन्न समूहों के बीच बढ़ी हुई भावनाओं का संकेत दे सकते हैं, लेकिन वे मेरे अनुमान में, कार्यवाही को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग नहीं करते हैं।19. इसके अलावा, यह केवल याची की सुविधा नहीं हो सकती है, बल्कि शिकायतकर्ता, गवाहों, अभियोजन पक्ष की भी सुविधा हो सकती है।आम तौर पर क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा संचालित किए जा रहे मुकदमे के बड़े मुद्दे को भी इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।जब प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों की सापेक्ष सुविधा और कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाता है, तो यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि वर्तमान मामलों में पंजाब राज्य के बाहर वैकल्पिक स्थानों पर मुकदमे के हस्तांतरण के लिए कोई विश्वसनीय मामला नहीं बनाया गया है।

डी.

ई.

एफ.

20. याचिकाकर्ताओं की सलाह का अंतिम निवेदन था कि यदि मुकदमों को दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।यह याचिकाकर्ताओं का अनुरोधित मामला नहीं था।प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल पंजाब की राजधानी है और भले ही चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, शहर में जनसंख्या का स्वरूप पंजाब के बाकी हिस्सों की तरह है।इसलिए इन मामलों में अनुरोध किए गए आधारों पर ऐसी वैकल्पिक याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

965

जतिंदरवीर अरोड़ा और ओआरएस. बनाम.पंजाब राज्य [ऋषिकेश रॉय, जे.]

ए.

21. मुकदमे का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण अनिवार्य रूप से राज्य की न्यायपालिका की विश्वसनीयता को प्रतिबिंबित करेगा।बाध्यकारी कारकों और निष्पक्ष न्याय से वंचित होने की स्पष्ट स्थिति को छोड़कर, हस्तांतरण शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामलों के समूह को ऐसी असाधारण श्रेणियों में से एक नहीं माना जाता है।

22. उपरोक्त कारणों से, ये मामले योग्यता से रहित पाए जाते हैं।फिर भी, राज्य को, जैसा कि इस न्यायालय को आश्वासन दिया गया है, निचली अदालतों में कार्यवाही के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करनी चाहिए और याचिकाकर्ताओं और उनके सहयोगियों को पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हो। हालाँकि यह स्पष्ट किया गया है कि इस निर्णय में टिप्पणियां केवल इन याचिकाओं के निपटारे के लिए हैं और इनका किसी अन्य उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।

बी.

सी.

23. उपरोक्त चेतावनी अवलोकन के अधीन, मामलों को खारिज कर दिया जाता है।

डी.

कल्पना के. त्रिपाठी

स्थानांतरण याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ई.

एफ.

जी.

एच.